



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1260]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 5, 2008/भाद्र 14, 1930

No. 1260]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 5, 2008/BHADRA 14, 1930

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2008

का.आ. 2165(अ).—खाद्य सुरक्षा और मानदण्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 4 तथा धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एतद्द्वारा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानदण्ड प्राधिकरण की स्थापना करती है जिसमें अध्यक्ष एवं निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात् :—

(1) श्री पी. आई. सुवरतन —अध्यक्ष

धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत नियुक्त :

(2) संयुक्त सचिव, भारत सरकार —सदस्य
कृषि मंत्रालय, कृषि विभाग (पदेन);(3) संयुक्त सचिव, भारत सरकार —सदस्य
वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य विभाग (पदेन);(4) संयुक्त सचिव, भारत सरकार —सदस्य
उपभोक्ता मामले से संबंधित, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (पदेन);(5) संयुक्त सचिव, भारत सरकार —सदस्य
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (पदेन);(6) संयुक्त सचिव, भारत सरकार —सदस्य
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग (पदेन);(7) संयुक्त सचिव, भारत सरकार —सदस्य
विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग (पदेन);(8) संयुक्त सचिव, भारत सरकार —सदस्य
लघु उद्योगों से संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम, उद्यम मंत्रालय (पदेन);

धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत नियुक्त :

(9) सुश्री मोना मल्होत्रा चोपड़ा, —सदस्य;
द्वारा साई ग्लोबल लिमिटेड सामुदायिक केन्द्र, नारायणा, नई दिल्ली-110026(10) सुश्री इंद्राणी कार, —सदस्य;
द्वारा कृषि एवं खाद्य प्रभाग, भारतीय उद्योग परिसंघ, दि मंतोश सौधी सेंटर, 23, इंस्टीट्यूशन एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त :

(11) सुश्री वसुंधरा प्रमोद देवधर, —सदस्य;
द्वारा मुम्बई ग्राहक पंचायत, ग्राहक भवन, संत दनयानेश्वर मार्ग, जे.वी.पी.डी., विले पार्ले वेस्ट, मुम्बई-400056(12) श्री बीजोन मिश्रा, —सदस्य;
कार्यकारी निदेशक, उपभोक्ता समन्वय परिषद्, नई दिल्ली

धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन नियुक्त :

(13) डॉ. एस. गिरिजा, —सदस्य;
द्वारा समेकित मछली पालन

परियोजना, पशुपालन, डेयरी एवं
मछली पालन विभाग, कृषि मंत्रालय,
ललित कला एवेन्यू, कोचीन-682016

- (14) डॉ. एन. एन. वाष्णोय, —सदस्य;
द्वारा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ग्रुप,
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड,
पोस्ट बॉक्स नं. 40, आनंद-388001,
गुजरात

- (15) डॉ. (सुश्री) इंद्रा चक्रवर्ती, —सदस्य;
निदेशक एवं डीन,
अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं
जन स्वास्थ्य संस्थान, 110, चितरंजन
एवेन्यू, कोलकाता-700073

धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (ड) के अधीन नियुक्त :

- (16) डॉ. (श्रीमती) पी. सुचरिता मूर्ति, —सदस्य;
निदेशक, निरोधक आयुर्विज्ञान, जन
स्वास्थ्य प्रयोगशाला एवं खाद्य (स्वास्थ्य)
प्राधिकारी संस्थान, आंध्र प्रदेश सरकार

- (17) श्रीमती नवराज संधू, —सदस्य;
आयुक्त एवं सचिव,
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष
विभाग, हरियाणा सरकार

- (18) श्री शिव नारायण साहू, —सदस्य;
उप औषध नियंत्रक,
बिहार सरकार

- (19) श्री टेप बगरा, —सदस्य;
सचिव (स्वास्थ्य), अरूणाचल
प्रदेश सरकार

- (20) डॉ. स्वप्न कुमार पाल, —सदस्य;
उप-निदेशक (स्वास्थ्य),
स्वास्थ्य सेवा निदेशालय,
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह
प्रशासन

धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (च) के अधीन नियुक्त :

- (21) डॉ. (श्रीमती) टी.ए. कादरभाई, —सदस्य;
अंगूर उत्पादक संघ, द्वारा कृषि
विज्ञान केन्द्र, बारामती, जिला
पुणे-413115

- (22) श्री बी. बालासुब्रामणियम, —सदस्य;
महा सचिव, प्रान फार्मर्स फेडरेशन
ऑफ इंडिया, 108/1, रंनबो ड्राइव
लेआउट, सरजापुर रोड, विप्रो कारपोरेट
आफिस के नजदीक, बंगलौर-560035

धारा 5 की उप धारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन नियुक्त :

- (23) श्री जिबसन जी. वेदामनि, —सदस्य
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय
खुदरा विक्रेता संघ, मुम्बई।

[फा. सं. 1-7/एफएसएसए/एफए/2008]

देबाशीष पण्डा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2008

S.O. 2165(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and Section 5 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Central Government hereby establishes the Food Safety and Standards Authority of India for the purposes of the said Act, consisting of the Chairperson and the following members, with effect from the date of publication of this notification, namely :—

- (1) Shri P.I. Suvrathan —Chairperson;

Appointed under clause (a) of sub-section (1) of
Section 5 :

- (2) Joint Secretary to the Government —Member
of India, Ministry of Agriculture, (ex-officio);
Department of Agriculture
- (3) Joint Secretary to the Government —Member
of India, Ministry of Commerce, (ex-officio);
Department of Commerce
- (4) Joint Secretary to the Government —Member
of India, Ministry of Consumer (ex-officio);
Affairs, Food and Public Distri-
bution dealing with Consumer
Affairs
- (5) Joint Secretary to the Government —Member
of India, Ministry of Food, (ex-officio);
Processing Industries
- (6) Joint Secretary to the Government —Member
of India, Ministry of Health and (ex-officio);
Family Welfare, Department of
Health
- (7) Joint Secretary to the Government —Member
of India, Ministry of Law and (ex-officio);
Justice, Legislative Department
- (8) Joint Secretary to the Government —Member
of India, Ministry of Micro, Small (ex-officio);
and Medium Enterprises dealing
with Small Scale Industries

Appointed under clause (b) of sub-section (1) of Section 5 :

- (9) Ms. Mona Malhotra Chopra —Member;
C/o. Sai Global Ltd.,
Community Centre, Naraina,
New Delhi-110026
- (10) Ms. Indrani Kar —Member;
C/o. Agriculture and Food
Division, Confederation of
Indian Industry, The Mantosh
Sondhi Centre, 23, Institutional
Area, Lodhi Road, New
Delhi-110003

Appointed under clause (c) of sub-section (1) of Section 5 :

- (11) Ms. Vasundhara Pramod Deodhar —Member;
C/o. Mumbai Grahak Panchayat,
Grahak Bhavan, Sant Dnyaneshwar
Marg, J.V.P.D., Vile Parle West,
Mumbai-400056
- (12) Shri Bejon Misra —Member;
Acting Director, Consumer
Coordination Council,
New Delhi

Appointed under clause (d) of sub-section (1) of Section 5 :

- (13) Dr. S. Girija —Member;
C/o. Integrated Fisheries Project,
Department of Animal Husbandry,
Dairying and Fisheries, Ministry
of Agriculture, Fine Arts Avenue,
Cochin-682016
- (14) Dr. N. N. Varshney —Member;
C/o. International Projects
Group, National Dairy Develop-
ment Board, Post Box 40,
Anand-388001, Gujarat
- (15) Dr. (Ms.) Indira Chakravarty —Member;
Director and Dean,
All India Institute of Hygiene
and Public Health, 110,
Chittaranjan Avenue,
Kolkata-700073

Appointed under clause (e) of sub-section (1) of Section 5 :

- (16) Dr. (Smt.) P. Sucharitha Murthy —Member;
Director, Institute of Preventive
Medicine, Public Health Laboratories
and Food (Health) Authority,
Government of Andhra Pradesh
- (17) Smt. Navraj Sandhu —Member;
Commissioner and Secretary,
Health, Medical Education and
Ayush Department, Government
of Haryana
- (18) Shri Shiv Narayan Sahu —Member;
Deputy Drugs Controller,
Government of Bihar
- (19) Shri Tape Bagra, —Member;
Secretary (Health), Government
of Arunachal Pradesh
- (20) Dr. Swapan Kumar Pal —Member;
Deputy Director (Health),
Directorate of Health Services,
Andaman and Nicobar Island
Administration

Appointed under clause (f) of sub-section (1) of Section 5 :

- (21) Dr. (Smt.) T.A. Kadarbhai —Member;
Grapes Growers Association,
C/o. Krishi Vigyan Kendra,
Baramati, Distt. Pune-413115
- (22) Shri V. Balasubramaniam —Member;
General Secretary, Prawn
Farmers Federation of India,
108/1, Rainbow Drive Layout,
Sarjapur Road, Near WIPRO
Corporate Office,
Bangalore-560035

Appointed under clause (g) of sub-section (1) of Section 5 :

- (23) Shri Gibson G. Vedamani —Member.
Chief Executive Officer,
Retailers Association of India,
Mumbai

[F. No. 1-7/FSSA/FA/2008]

DEBASISH PANDA, Jt. Secy.